न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 42/2017

मन्दिर श्री जानकीराय जी विराजमान (नाबा0) ग्राम झाडवां तहसील मांगरोल जिला बारां राजस्थान जर्ये पुजारी

01. मदनलाल पुत्र श्री बद्रीलाल
02. सत्यनारायण पुत्र श्री बद्रीलाल
03. कपील पुत्र श्री ग्यारसीराम
04. मनीष पुत्र श्री ग्यारसीराम

} जाति ब्राहमण निवासीगण झाडवां तहसील मांगरोल जिला बारां

....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. जोधराज पुत्र प्रभूलाल
2. मांगीलाल पुत्र लक्ष्मण
3. शोभागमल पुत्र पन्नालाल
4. छीतरलाल पुत्र रामनाथ

} जातियान मीणा निवासीगण झाडवां तहसील मांगरोल जिला बारां

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां
6. देवस्थान विभाग जर्ये सहायक आयुक्त महोदय देवस्थान विभाग संभाग कोटा

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री कर्मवरी शर्मा
वकील प्रतिवादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांक: 19.06.2017

निर्णय दिनांक : 31.07.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण मन्दिर जानकीराय जी की सेवा चाकरी वादीगण के पिता, दादा, परदादा निरन्तर करते चले आ रहे है जिनको मन्दिर की सेवा चाकरी के बदले कृषि भूमि खसरा नं0 9 रकबा 4.19 है0 वाके ग्राम झाडवां तहसील मांगरोल में जागीर के समय से निकली हुयी है। जिस पर खेती कर वादीगण और वादीगण के पहले पूर्वज परिवार पालन करते आ रहे है। मुताबिक रेकार्ड तहसील मांगरोल जमाबंदी सम्वत 2010–13 मन्दिर की जमाबंदी में पुजारी की हेसियत से रघुनाथ बेटा भज्जू का नाम दर्ज रेकार्ड है। वही जमाबंदी सम्वत 2031–34 में पुजारी के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र रघुनाथ ब्राहमण का नाम दर्ज रेकार्ड है जिनकी मृत्यु दिनांक 05.04.1995 को होने से बद्रीलाल के स्थान पर वादीगण विधिवत बहेसियत पुजारी सेवा चाकरी कर कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे है। अनुसार पुजारी की हेसियत से मन्दिर जानकीराय जी व मन्दिर से जुडी भूमि पर नियमानुसार स्वयं को पुजारी घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है। डोहली कृषि भूमि मुताबिक राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2010–13, 2015–18 पुजारी रघुनाथ पुत्र भज्जू बहेसियत खातेदार दर्ज रेकार्ड है और मुताबिक रजमाबंदी सम्वत 2023–26, 2027–30, 2031–34, 2035–38 खातेदार पुजारी बद्री पुत्र रघुनाथ ब्राहमण का नाम दर्ज रेकार्ड रहा है, जो सन् 1990 तक बहेसियत खातेदार काबिज काश्त रहे है। प्रतिवादी कम 1 ता 4 ग्राम

[illegible] के निवासी है जो एक संगठित गिरोह बनाकर वादीगण को नाजायज परेशान कर रहे है मन्दिर की भूमि भूमि को काश्त करने में लाठी के बल पर रोकने में आमादा है जिन्होने धमकी दी है कि मन्दिर की भूमि को हम काश्त करेगें। वादीगण वंशानुगत पीढी दर पीढी कोटा रियासत कालीन मन्दिर पुजारी होने से तथा निरन्तर कब्जा काश्त होने से राजस्थान सरकार रेवेन्यू बोर्ड और माननीय उच्च न्यायालय आदेशानुसार स्वयं को विवादित डोहली पर अपना नाम बहेसियत खातेदार दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है। जिनको खातेदार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नं0 9 रकबा 4.19 है0 ग्राम झाडवां तहसील मांगरोल पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें व जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वह खसरा नं0 9 रकबा 4.19 है0 ग्राम झाडवां पर किसी प्रकार दखलअंदाजी न तो स्वयं करें न ही अपने वैध व अवैध प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 19.06.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी प्राप्ति रसीद शामिल फाईल है। प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह हाडा ने वकालत नामा दिनांक 24.07.2016 को प्रस्तुत किया एवं दिनांक 29.08.2017 को प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसारः–

01. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 1 व 2 जानकारी के अभाव में स्वीकार है।
02. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 3 स्वीकार नही है। ग्राम वासियान की निगरानी में पूजा अर्चना ठाकूरजी की होती है।
03. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 4 स्वीकार है।
04. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 5 रेकार्ड से संबंधित है।
05. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 6 स्वीकार नही है। माफी मन्दिर की आराजी होना स्वीकार है।
06. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 7 रेकार्ड से संबंधित है।
07. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 8 में रेकार्ड से पुजारियों का नाम हटाया जाना स्वीकार है। लेकिन यह स्वीकार नही है कि वादीगण मूर्ति मंदिर के संरक्षक हो, मूर्ति मंदिर ग्राम झाडवां के संरक्षक सभी ग्राम वासियान है।
08. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 9 व 10 स्वीकार नही है।
09. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 11 असत्य, मनघढंत व भ्रामक है,
10. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 12 व 13 स्वीकार नही है।
11. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 14 व 15 कानूनी है।

विशेष विवरणः– प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि माफी मन्दिर श्री जानकीरायजी ग्राम झाडवा तहसील मांगरोल से समस्त ग्राम वासी झाडवां तहसील मांगरोल का हित जुडा हुआ है। मन्दिर के समस्त कार्य समस्त ग्राम वासी मिलकर बहुमत से करते है, लगभग तीन वर्ष पूर्व सम्पूर्ण मंदिर का जीर्णोद्वार व निर्माण कराया गया था। उक्त कार्य हेतु ग्राम वासीयो द्वारा चंदा एकत्रित कर भण्डारा भी किया गया था। ग्राम वासियों ने निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष मंदिर की आय से रू0 10000 निकालकर अलग से रखे जावेंगं जो मरम्मत व रंग–रोगन आदि में काम लिये जावेंगें। उक्त के कम में ग्राम वासियों ने दिनांक 19.03.2017 को ग्राम वासियान ने मंदिर की कृषि आराजी की खुली बोली लगाई जो प्रतिवादी नं0 1 ने 2 लाख 45 हजार रू0 में

[illegible] के लिए काश्त करने के लिए आराजी अपने कब्जे में कर ली, ग्राम वासियों ने सांई पेटे 20000 रू0 जोधराज से प्राप्त कर लिए है, और जोधराज को आराजी का कब्जा सम्भला दिया है, तथा जोधराज प्रतिवादी नं0 1 आराजी को काश्त करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें वादीगण कोई हस्तक्षेप नही कर सकते, वादीगण पूजा कर सकते है। आराजी की मालिक व खातेदार मूर्ति मंदिर जानकीराय जी है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण सव्यय खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। वादीगण ने दिनांक 29.08.2017 को न्यायालय में उपस्थित होकर एक राजीनामा पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी क्रम 1 ने कथन किया कि मेरा प्रतिवादीगण व ग्राम वासियान से राजीनामा हो गया है अब किसी प्रकार का विवाद जैरकार नही है। मुताबिक वाद पत्र ग्राम झाडवा की आराजी खसरा नं0 9 रकबा 4.19 है0 मन्दिर श्री जानकीरायजी के खाते दर्ज है। जिसे वादीगण अपने खाते दर्ज करवाना चाहता है। परन्तु उक्त आराजी भूमि माफी मन्दिर की है मुताबिक काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानानुसार रेकार्ड ऑफ रेवेन्यु में खातेदार व गैरखातेदार के अलावा अन्य किस्म का इन्द्राज किया जाना न्यायसंगत नही है जिसमें पुजारी का नाम अंकित किया जाना न्यायसंगत नही है। अतः वाद वादीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

कर निवेदन करते है कि वर्तमान पज